झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–53/11 /रांची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
पोस्ट–हिनु, रांची।

विषय :– **वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम बजट शीर्ष अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना एवं अन्य प्रयोजन हेतु कुल रू0 4,04,69,000/– (रू0 चार करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित विभाग के पत्रांक–245/बजट दिनांक–30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 **4,04,69,000/– (रू0 चार करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	इकाई का नाम	OSP
1	वेतन	5701000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000101)
2	संविदा भता	34768000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000108)
	कुल	40469000.00
कुल 4,04,69,000/– (रू0 चार करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार) मात्र		

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–02–स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि रू0 19,04,69,000/– (रू0 उन्नीस करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 0137 है।
6. स्वीकृत्यादेश में निहित राशि का आवंटन आदेश आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त ही राशि निकासी एवं व्ययन योग्य होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

8. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी एवं निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कोडरमा/पलामू/गोला (रामगढ़) होगें।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद/कोडरमा/पलामू/रामगढ़ से की जायेगी।
12. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 432/बजट दिनांक 08.08.2022 के द्वारा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त है।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. वित विभाग के संकल्प संख्या–2741 दिनांक– 23/10/03 के आलोक में प्रारूप पर आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चितक करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–53/11 /रांची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद/कोडरमा/पलामू/रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–53/11/11/योजना /रांची, दिनांक– 13.09.2022

प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वितीय सलाहकार/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कोडरमा/ पलामू/गोला (रामगढ़)/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.22

सरकार के सचिव